(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I , खण्ड– (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना 61 /2015–2020

दिनांक:– 7 मार्च, 2017

विषय:– परिशिष्ट 3 ख (तालिका–2) की एमईआईएस अनुसूची को आईटीसी (एचएस), 2017 के साथ सुमेलित करने तथा उसमें संशोधन करने के संबंध में।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिनांक 17.01.2017 की अधिसूचना सं० 36/2015–2020 के द्वारा आईटीसी (एचएस), 2012 के स्थान पर भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)– आईटीसी (एचएस), 2017 अधिसूचित किया है।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, विदेश व्यापार नीति, (2015–2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा एमईआईएस अनुसूची, परिशिष्ट 3 ख (तालिका–2) को पुनः अधिसूचित करते हैं जो मौजूदा एच एस कोड, उनका विवरण और तदनुरुपी 2017 एचएस कोडों के साथ लागू एमईआईएस की दरें तथा वस्तुओं/उत्पाद का विवरण दर्शाती है। **यह विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट: www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।**

3. यह अब तक अधिसूचित (सार्वजनिक सूचना सं० 2, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 और सार्वजनिक सूचना सं० 27, दिनांक 14 जुलाई, सार्वजनिक सूचना सं० 28, दिनांक 16 जुलाई, सार्वजनिक सूचना सं० 44, दिनांक 29 अक्टूबर 2015, और सार्वजनिक सूचना सं० 6 दिनांक 4 मई, सार्वजनिक सूचना सं० 26 दिनांक 26 अगस्त, सार्वजनिक सूचना सं० 32, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 49, दिनांक 30.12.2016 के द्वारा तत्पश्चात विस्तार) एमईआईएस के तहत सभी मदों की एक समेकित सूची है तथा आईटीसी (एचएस) 2017 के अनुक्रम पर आधारित है।

4. सभी सूचियों के समेकन और आईटीसी (एचएस) के अनुक्रम पर आधारित परिणामी व्यवस्था के साथ मदों की मौजूदा क्रम. स० में भी परिवर्तन किया गया है।

5. आईटीसी (एचएस), 2017 के अनुसार एमईआईएस अनुसूची पोत लदान हेतु 01.01.2017 से लागू होगी।

6. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:–** एमईआईएस अनुसूची (परिशिष्ट 3 ख की तालिका 2) को आईटीसी (एचएस), 2017 के साथ सुमेलित किया गया है और समेकित सूची को प्रकाशित किया जाता है।

अजय भल्ला

(ए.के. भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फाइल सं० 01/61/180/68/एएम15/पीसी–3 से जारी)